

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 266
जिसका उत्तर 08 दिसंबर, 2022 को दिया जाना है।

.....

नदियों को आपस में जोडना

266. डॉ. तालारी रंगैय्या:
श्री उत्तम कुमार रेड्डी:
श्री अदला प्रभाकर रेड्डी:
श्री कुरुवा गोरान्तला माधव:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) के साथ मिलकर गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-कावेरी नदियों को परस्पर जोडने की योजना बनाने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या इस संबंध में आम सहमति की कमी के कारण उक्त परियोजनाओं में विलंब हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) इस परियोजना के परिणामस्वरूप गोदावरी अथवा कावेरी नदियों पर पहले से ही मौजूदा परियोजनाओं से तत्काल पेयजल और सिंचाई जलापूर्ति पर पडने वाले प्रभाव का ब्यौरा क्या है;
- (घ) इस योजना को पूरा करने के लिए प्रत्येक राज्य में आवश्यक भूमि का ब्यौरा क्या है और इस आवश्यक भूमि का अधिग्रहण करने के लिए मुआवजे की कितनी राशि का भुगतान करने का प्रस्ताव है;
- (ङ) इस परियोजना के विकास और संचालन के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है और इसके लिए क्या समय-सीमा तय की गई है; और
- (च) मौजूदा लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं और नहरों पर इस परियोजना का क्या प्रभाव पडेगा?

उत्तर

जल शक्तिराज्य मंत्री (श्री विश्वेश्वर टूडू)

(क): गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-कावेरी लिंक परियोजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के तहत चिन्हित 30 लिंक परियोजनाओं में से एक है। जैसा कि एनपीपी के तहत परिकल्पना

की गई है, गोदावरी को कृष्णा, पेन्नार और कावेरी बेसिनों में जल के आगे मोड़ के लिए महानदी और ब्रह्मपुत्र घाटियों से अधिशेष जल के हस्तांतरण द्वारा बढ़ाया जाना है। भारत सरकार इस लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पक्षकार राज्यों के परामर्श से ठोस प्रयास कर रही है। महानदी-गोदावरी और गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा लिंक परियोजनाओं पर लंबित सहमति, गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना के माध्यम से गोदावरी बेसिन में उपलब्ध अधिशेष जल और गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना के माध्यम से गोदावरी बेसिन के इंद्रावती उप-बेसिन में अनुपयुक्त जल के अंतरण के लिए वैकल्पिक अध्ययन राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी(एनडब्ल्यूडीए) द्वारा किया गया था। गोदावरी (इंचमपल्ली)-कावेरी (गैंड एनीकट) लिंक में गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक, कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमासिला) लिंक और पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (गैंड एनीकट) लिंक नाम से तीन लिंक शामिल हैं। यह लिंक परियोजना गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पलार और कावेरी बेसिन से गुजरती है और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। लिंक परियोजना की पहचान प्राथमिक लिंक परियोजनाओं में से एक के रूप में की गई है।

गोदावरी (इंचमपल्ली)-कावेरी (गैंड एनीकट) लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) एनडब्ल्यूडीए द्वारा पक्षकार राज्यों के परामर्श से पूरी की गई और 28.04.2021 को उन्हें परिचालित की गई। गोदावरी बेसिन से कृष्णा, पेन्नार और कावेरी बेसिन तक 7000 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) वार्षिक जल के अंतरण के लिए लिंक परियोजना की परिकल्पना की गई है और यह 9.44 लाख हेक्टेयर की वार्षिक सिंचाई उपलब्ध कराएगी।

(ख): गोदावरी (इंचमपल्ली)-कावेरी (गैंड एनीकट) लिंक परियोजना के संबंध में, पक्षकार राज्यों ने गोदावरी बेसिन में अतिरिक्त जल की उपलब्धता और राज्यों को जल के आवंटन की मात्रा से संबंधित चिंताएं जताई हैं। पक्षकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के साथ अब तक चार परामर्श बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। जैसा कि 18.02.2022 को आयोजित बैठक के दौरान तय किया गया था, एनडब्ल्यूडीए द्वारा अंतरिम चरण में गोदावरी बेसिन से 7000 एमसीएम से लगभग 4000 एमसीएम जल के हस्तांतरण को सीमित करने वाले एवं बेदती-वरदा लिंक के माध्यम से कृष्णा बेसिन में पूरकता के प्रस्ताव को संयोजित करने संबंधी प्रस्ताव को फिर से तैयार करने के लिए एक तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीएफआर) भी तैयार की गई है। परामर्श बैठक पिछली बार 18.10.2022 को आयोजित की गई थी और लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पक्षकार राज्यों के बीच आम सहमति बनाने के प्रयास किए गए थे।

(ग): गोदावरी (इंचमपल्ली)-कावेरी (गैंड एनीकट) लिंक परियोजना अंतरिम चरण में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में वार्षिक 6.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई प्रदान करेगी। यह लिंक तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में लगभग 1.88 करोड़ लोगों की औद्योगिक और घरेलू जरूरतों को भी पूरा करेगा। इसके अलावा, बेदती-वरदा लिंक कर्नाटक राज्य में 1.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई उपलब्ध कराएगा और राज्य में 5 लाख लोगों को घरेलू जल उपलब्ध कराएगा।

(घ) से (च): परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक भूमि और निधियों, मुआवजे आदि का विवरण परियोजना के कार्यान्वयन के समय ध्यान में रखा जाएगा। विस्तृत परियोजना नियोजन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि सिंचाई या घरेलू जल आपूर्ति के लिए मौजूदा योजनाओं पर कोई प्रभाव न पड़े।
